



कार्यालय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

9, सरोजनी नायडू मार्ग, सिविल लाइन्स, प्रयागराज-211001

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को विगत वर्षों के अनुभव के आधार पर सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की वर्ष 2026 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कूटनी हेतु आवेदन करने वाले छात्र-छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को साइबर ठगों (Cyber Criminals) द्वारा विभिन्न माध्यमों से गुमराह करने का कुप्रयास किया जा सकता है।

ये साइबर अपराधी परीक्षार्थियों को सीधे फोन कॉल कर पैसे के बदले अंक बढ़ाने का प्रलोभन दे सकते हैं और इसके लिए वे परिषद के कर्मचारियों के नाम का दुरुपयोग कर अपनी फर्जी पहचान भी बता सकते हैं।

उत्तर प्रदेश पुलिस के सक्रिय सहयोग से ऐसे साइबर अपराधियों की पहचान कर इनके विरुद्ध आई. टी. एक्ट (IT Act) एवं भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर धाराओं के अंतर्गत कठोर दण्डात्मक कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

अतः परीक्षार्थियों, अभिभावकों एवं आम जनमानस से अनुरोध है कि:

1. ऐसे किसी भी फोन कॉल, मैसेज या ईमेल का संज्ञान न लें। परिषद कभी भी व्यक्तिगत रूप से परीक्षार्थियों से संपर्क नहीं करता है।
2. अपनी व्यक्तिगत जानकारी, रोल नंबर या बैंक विवरण किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करें।
3. ऐसे कॉल आने पर उसे रिकॉर्ड करें और तत्काल मोबाइल नंबर के साथ अपने जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) को सूचित करें अथवा साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं।

(भगवती सिंह)
सचिव

पू0सं0-मा0शि0प0/सिस्टम सेल/१०१-(1-6)

दिनांक १४-०९-२०२६

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सम्पादक, समस्त दैनिक समाचार पत्र को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इसे जनहित में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) एवं सभापति, मा0शि0प0, शिविर कार्यालय, लखनऊ।
4. अपर सचिव, मा0शि0प0, क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ, बरेली, प्रयागराज वाराणसी एवं गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि ऐसी सूचना मिलने पर तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराएं।

5. जिला विद्यालय निरीक्षक, समस्त जनपद, उ०प्र० को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे अपने स्तर से समस्त प्रधानाचार्यों को निर्देशित करें कि वे अभिभावकों के व्हाट्सएप ग्रुप एवं विद्यालय के सूचना पट्ट के माध्यम से छात्रों को सचेत करें। साथ ही परीक्षार्थियों, अभिभावकों एवं आम जनमानस से ऐसी सूचना मिलने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराएं।
6. उप सचिव (सिस्टम सेल), मा०शि०प० को परिषद की आधिकारिक वेबसाइट एवं सोशल मीडिया हैंडल्स पर व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।


(भगवती सिंह)
सचिव